भारतीय खेल प्राधिकरण
SPORTS AUTHORITY OF INDIA

(राजभाषा प्रभाग)

फ.सं. रा.भा./3075/2023-24/327 दिनांक: 18/7/2025

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक
भारतीय खेल प्राधिकरण
क्षेत्रीय केंद्र, गांव नाभा साहिब
जीरकपुर, पंजाब - 140603

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा दिनांक 12.06.2025 को किए गए निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में।

महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 12.06.2025 को आपके अधीनस्थ कार्यालय **भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र, बिलासपुर और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, धर्मशाला** का राजभाषायी निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के दौरान आपके द्वारा समिति को कुछ आश्वासन दिए गए थे। उन आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में, प्राप्त प्रति अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है (प्रति संलग्न)।

आपसे अनुरोध है कि उक्त संबंधित केंद्रों के प्रभारियों को यह निदेश दें कि संसदीय राजभाषा समिति से प्राप्त निदेशानुसार आश्वासनों एवं ध्यान देने योग्य बातों पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करें और इसे संलग्न प्रोफार्मा में भरकर, दिये गए समय के अधीन राजभाषा प्रभाग, मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली को भेजें, ताकि निरीक्षण से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट 03 महीने के भीतर (अर्थात् 90 दिनों के अंदर) यु.का.खे.मं. के माध्यम से सचिवालय को भिजवाई जा सके और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

इसे निदेशक/प्रभारी राजभाषा के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथा उपरोक्त

आशा 18/7/25
(आशा)
उपनिदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

1. उपनिदेशक (राजभाषा) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली
3. प्रभारी, भाखेप्रा, खेल प्रशिक्षण केंद्र, बिलासपुर
4. प्रभारी, भाखेप्रा रा.उ.कें. खेल परिसर, धर्मशाला
5. मास्टर फाइल

संसदीय राजभाषा समिति
Committee of Parliament on Official Language
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली - 110011
11, Teen Murti Marg, New Delhi - 110011

संख्या : 11012/06/2025-समिति-1

दिनांक: 23.06.2025

भारतीय खेल प्राधिकरण Sports Authority of India प्राप्ति सं./Diary No. 2338 10/7/25 राजभाषा प्रभाग Official Language Division

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,
कमरा नंबर 114, सी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय के दिनांक 01.05.2025 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति के माननीय संयोजक डॉ. दिनेश शर्मा, सांसद (राज्य सभा) द्वारा आपके नियंत्रणाधीन निम्न कार्यालयों का उनके सामने दर्शाई गई तिथियों को शिमला में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण संबंधी बैठक में आपके मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान उप समिति को कुछ आश्वासन दिए गए थे जिनका विवरण अनुलग्नक -1 में दिया गया है तथा साथ ही इन कार्यालयों की निरीक्षण प्रश्नावली के आधार पर उपाध्यक्ष/संयोजक महोदय द्वारा हस्ताक्षरित ध्यान देने योग्य बातों की एक प्रति भी संलग्न है।

क्र.सं.	कार्यालय एवं अध्यक्ष का नाम	निरीक्षण तिथि
1.	श्री विजय प्रकाश नेगी, प्रभारी, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र, बिलासपुर - 174001, हिमाचल प्रदेश	12.06.2025
2.	श्री राकेश कुमार जस्सल, प्रभारी, भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, खेल परिसर, धर्मशाला, जिला - काँगड़ा (हिमाचल प्रदेश) - 176215	12.06.2025

2. अनुरोध है कि निरीक्षित कार्यालयों द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा करने संबंधी अनुपालन रिपोर्ट तथा ध्यान देने योग्य बातों पर की गई कार्रवाई/अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप संलग्न) में इस पत्र की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर भिजवा दी जाए।

आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों (एक प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है) को ध्यान में रखा जाए।

भवदीय,

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(प्रेम नारायण)
सचिव (समिति)
दूरभाष : 23012933

प्रतिलिपि:

1. सुश्री मंजुश्री दयानंद, कार्यकारी निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, क्षेत्रीय केंद्र, जीरकपुर, गांव नाभा साहिब, जीरकपुर - 140603, पंजाब
2. डॉ. गीता पाराशर, निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम परिसर (पूर्वी द्वार), लोधी रोड, नई दिल्ली-03

संसदीय राजभाषा समिति
(पहली उप-समिति)

निरीक्षण की तारीख: 12.06.2025

पत्र सं.:11012/06/2025-समिति-1 दिनांक:23.06.2025

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति को निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासन।
कार्यालय का नाम: **भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, धर्मशाला**

क्रं.सं.	आश्वासन
1.	कार्यालय में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त समस्त कार्मिकों को कार्यशाला एवं प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी में प्रवीण बनाया जाएगा।
2.	कार्यालय में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने हेतु निदेश दिए जाएंगे।
3.	कार्यालय द्वारा मूल पत्राचार लक्ष्यानुसार हिंदी में किया जाएगा।
4.	कार्यालय में प्रयोग आने वाले कंप्यूटरों पर हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रतिशतता बढ़ाई जाएगी।
5.	कार्यालय में कंप्यूटरों पर लेखा, प्रचालन तथा अन्य कार्य अधिक से अधिक हिंदी में किए जाएंगे।
6.	कार्यालय में सभी प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा कंप्यूटर पर अधिकतर कार्य हिंदी में किया जाएगा।
7.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हिंदी में किए जा रहे कार्य के प्रतिशत में वृद्धि की जाएगी।
8.	कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
9.	कार्यालय एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा लक्ष्यानुसार टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाएंगी।
10.	कार्यालय एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा लक्ष्यानुसार पत्राचार हिंदी में किया जाएगा।
11.	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मूल पत्राचार लक्ष्यानुसार हिंदी में किया जाएगा।
12.	मुख्यालय द्वारा राजभाषा सम्मेलनों/समारोहों का आयोजन किया जाएगा।
13.	मुख्यालय में रिक्त हिंदी पदों को यथा शीघ्र भरा जाएगा।
14.	मुख्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले सभी विज्ञापन हिंदी भाषा में भी जारी किए जाएंगे।
15.	मंत्रालय द्वारा हिंदी सलाहकार समिति का गठन शीघ्र किया जाएगा।
16.	मंत्रालय में रिक्त हिंदी पदों को यथा शीघ्र भरा जाएगा।

"ध्यान देने योग्य बातों" पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और आगामी 03 माह के भीतर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट समिति सचिवालय को भेजी जाएगी।

23/6/25

(इरफान अहमद खान)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
इरफान अहमद खान/IRFAN AHMAD KHAN
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/Senior Research Officer
संसदीय राजभाषा समिति
Committee of Parliament on Official Language
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs
11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली–110011
11, Teen Murti Marg, New Delhi-110011

*****

संसदीय राजभाषा समिति

विषय : आश्वासनों की पूर्ति संबंधी दिशा-निर्देश

1. संसदीय राजभाषा समिति की उप-समितियों को निरीक्षण कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा निरीक्षण बैठकों के दौरान आश्वासन दिए जाते हैं। इसी प्रकार मौखिक साक्ष्य के दौरान कार्यालय प्रमुखों द्वारा समिति को कतिपय आश्वासन दिए जाते हैं। आश्वासनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) के अनुसार समिति सचिवालय में भेजने से पूर्व उसे कार्यालय के प्रमुख या कार्यालय के अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी, जिसका स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम न हो, का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट निरीक्षित कार्यालयों द्वारा समिति को सीधे न भेजकर उससे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए तथा उसमें प्रगति को दर्शाने हेतु तथ्यात्मक आंकड़े दिए जाने चाहिए।

2. मंत्रालयों/विभागों द्वारा निरीक्षित कार्यालयों से प्राप्त अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट की भली भांति समीक्षा की जानी चाहिए और उसे संबंधित मंत्रालय/विभाग की टिप्पणी सहित समिति सचिवालय को कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् ही भेजा जाना चाहिए। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को प्रेषित करते समय यह स्पष्ट रूप से इंगित कर देना चाहिए कि यह रिपोर्ट किस स्तर के अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

3. आश्वासनों को पूरा करने के लिए, यदि निरीक्षण के दौरान कोई निश्चित अवधि निर्धारित न की गई हो तो, सामान्यत: 3 माह की अवधि दी जाती है। कार्यालय प्रमुखों को सुनिश्चित करना चाहिए कि दिए गए आश्वासन निर्धारित समय सीमा तक पूरे कर दिए जाएं।

4. कार्यालय प्रमुख द्वारा यदि किसी कारणवश दिए गए आश्वासनों में से कोई आश्वासन निर्धारित समय अवधि में पूरा नहीं हो पाता है तो समय सीमा बढ़ाने के लिए स्वयं या कार्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी जिसका स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम न हो, के अनुमोदन से संबंधित मंत्रालय/विभाग के माध्यम से आश्वासन को पूरा न कर सकने का स्पष्ट कारण बताते हुए समय बढ़ाने के लिए समिति सचिवालय से अनुरोध करना चाहिए। समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध को मंत्रालय/विभाग में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही भेजा जाना चाहिए। आश्वासनों को पूरा करने की अवधि को 3-3 मास की दो किस्तों में बढ़ाया जा सकता है। आश्वासनों को पूरा न कर सकने के कारणों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रथम 3 मास की अवधि बढ़ाए जाने का अनुमोदन समिति सचिवालय द्वारा किया जाएगा। यदि बढ़ाई गई 3 मास की अवधि में भी आश्वासन को पूरा नहीं किया जाता है तो अवधि को बढ़ाने के लिए निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से एक महीना पूर्व समिति सचिवालय को मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी जिसका स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम न हो, द्वारा पुन: आवेदन करना चाहिए। दूसरी बार समय सीमा की अवधि को बढ़ाने से पूर्व यदि उचित समझा जाएगा तो समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति, संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों तथा मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को चर्चा हेतु बुला सकती है।

5. यदि किसी कार्यालय का निरीक्षण उप-समिति द्वारा पहले किया जा चुका है तो उस निरीक्षण से संबंधित लम्बित/अपूर्ण आश्वासनों को कार्यालय प्रमुख द्वारा पुन: निरीक्षण के दौरान उप-समिति को दिए गए आश्वासनों में शामिल कर लेना चाहिए।

मंत्रालय/विभाग.....

संसदीय राजभाषा समिति की ..... उपसमिति द्वारा दिनांक ..... को .....

.....के निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई की अनुपालनात्मक रिपोर्ट।

क्र0 सं0	आश्वासन का संक्षिप्त सार	आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में की गई कार्रवाई	यदि आश्वासन को निर्धारित 3 माह की अवधि के दौरान पूरा न किया हो तो इसका कारण	यदि आश्वासन निर्धारित अवधि में पूरा न किया गया हो तो समिति सचिवालय की अनुमति से बढ़ाई गई समय-सीमा की तारीख और समिति सचिवालय के पत्र सं0 और तारीख का उल्लेख किए जाए जिसके अंतर्गत समय-सीमा बढ़ाई गई है।	बढ़ाई गई समय-सीमा के दौरान आश्वासन पूर्ति के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा	आश्वासन पूरा किए जाने की तारीख	अन्य विवरण यदि कोई हो तो
1	2	3	4	5	6	7	8

कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर

नाम:-

पदनाम:-

मोहर:-

संसदीय राजभाषा समिति
(पहली उप-समिति)

निरीक्षण की तारीख: 12.06.2025

पत्र सं.:11012/06/2025-समिति-1 दिनांक:23.06.2025

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति को निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासन।
कार्यालय का नाम: **भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश**

क्र.सं.	आश्वासन
1.	कार्यालय में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त समस्त कार्मिकों को कार्यशाला एवं प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी में प्रवीण बनाया जाएगा।
2.	कार्यालय को राजभाषा अधिनियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा।
3.	कार्यालय द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे।
4.	कार्यालय द्वारा मूल पत्राचार लक्ष्यानुसार हिंदी में किया जाएगा।
5.	कार्यालय में प्रयोग आने वाले कंप्यूटरों पर हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रतिशतता बढ़ाई जाएगी।
6.	कार्यालय में कंप्यूटरों पर प्रशासनिक तथा अन्य कार्य अधिक से अधिक हिंदी में किए जाएंगे।
7.	कार्यालय में सभी प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा कंप्यूटर पर अधिकतर कार्य हिंदी में किया जाएगा।
8.	कार्यालय द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता शीघ्र ग्रहण कर ली जाएगी।
9.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हिंदी में किए जा रहे कार्य के प्रतिशत में वृद्धि की जाएगी।
10.	कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
11.	कार्यालय एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा लक्ष्यानुसार टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाएंगी।
12.	कार्यालय एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा लक्ष्यानुसार पत्राचार हिंदी में किया जाएगा।
13.	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मूल पत्राचार लक्ष्यानुसार हिंदी में किया जाएगा।
14.	मुख्यालय द्वारा राजभाषा सम्मेलनों/समारोहों का आयोजन किया जाएगा।
15.	मुख्यालय में रिक्त हिंदी पदों को यथा शीघ्र भरा जाएगा।
16.	मुख्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले सभी विज्ञापन हिंदी भाषा में भी जारी किए जाएंगे।
17.	मंत्रालय द्वारा हिंदी सलाहकार समिति का गठन शीघ्र किया जाएगा।
18.	मंत्रालय में रिक्त हिंदी पदों को यथा शीघ्र भरा जाएगा।

"ध्यान देने योग्य बातों" पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और आगामी 03 माह के भीतर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट समिति सचिवालय को भेजी जाएगी।

इरफान
23/6/25

(इरफान अहमद खान)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
इरफान अहमद खान/IRFAN AHMAD KHAN
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/Senior Research Officer
संसदीय राजभाषा समिति
Committee of Parliament on Official Language
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs
11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली–110011
11, Teen Murti Marg, New Delhi-110011

*****

संसदीय राजभाषा समिति

विषय : आश्वासनों की पूर्ति संबंधी दिशा-निर्देश -

1. संसदीय राजभाषा समिति की उप-समितियों को निरीक्षण कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा निरीक्षण बैठकों के दौरान आश्वासन दिए जाते हैं। इसी प्रकार मौखिक साक्ष्य के दौरान कार्यालय प्रमुखों द्वारा समिति को कतिपय आश्वासन दिए जाते हैं। आश्वासनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) के अनुसार समिति सचिवालय में भेजने से पूर्व उसे कार्यालय के प्रमुख या कार्यालय के अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी, जिसका स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम न हो, का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट निरीक्षित कार्यालयों द्वारा समिति को सीधे न भेजकर उससे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए तथा उसमें प्रगति को दर्शाने हेतु तथ्यात्मक आंकड़े दिए जाने चाहिए।

2. मंत्रालयों/विभागों द्वारा निरीक्षित कार्यालयों से प्राप्त अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट की भली भांति समीक्षा की जानी चाहिए और उसे संबंधित मंत्रालय/विभाग की टिप्पणी सहित समिति सचिवालय को कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् ही भेजा जाना चाहिए। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को प्रेषित करते समय यह स्पष्ट रूप से इंगित कर देना चाहिए कि यह रिपोर्ट किस स्तर के अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

3. आश्वासनों को पूरा करने के लिए, यदि निरीक्षण के दौरान कोई निश्चित अवधि निर्धारित न की गई हो तो, सामान्यत: 3 माह की अवधि दी जाती है। कार्यालय प्रमुखों को सुनिश्चित करना चाहिए कि दिए गए आश्वासन निर्धारित समय सीमा तक पूरे कर दिए जाएं।

4. कार्यालय प्रमुख द्वारा यदि किसी कारणवश दिए गए आश्वासनों में से कोई आश्वासन निर्धारित समय अवधि में पूरा नहीं हो पाता है तो समय सीमा बढ़ाने के लिए स्वयं या कार्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी जिसका स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम न हो, के अनुमोदन से संबंधित मंत्रालय/विभाग के माध्यम से आश्वासन को पूरा न कर सकने का स्पष्ट कारण बताते हुए समय बढ़ाने के लिए समिति सचिवालय से अनुरोध करना चाहिए। समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध को मंत्रालय/विभाग में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही भेजा जाना चाहिए। आश्वासनों को पूरा करने की अवधि को 3-3 मास की दो किस्तों में बढ़ाया जा सकता है। आश्वासनों को पूरा न कर सकने के कारणों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रथम 3 मास की अवधि बढ़ाए जाने का अनुमोदन समिति सचिवालय द्वारा किया जाएगा। यदि बढ़ाई गई 3 मास की अवधि में भी आश्वासन को पूरा नहीं किया जाता है तो अवधि को बढ़ाने के लिए निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से एक महीना पूर्व समिति सचिवालय को मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी जिसका स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम न हो, द्वारा पुन: आवेदन करना चाहिए। दूसरी बार समय सीमा की अवधि को बढ़ाने से पूर्व यदि उचित समझा जाएगा तो समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति, संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों तथा मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को चर्चा हेतु बुला सकती है।

5. यदि किसी कार्यालय का निरीक्षण उप-समिति द्वारा पहले किया जा चुका है तो उस निरीक्षण से संबंधित लम्बित/अपूर्ण आश्वासनों को कार्यालय प्रमुख द्वारा पुन: निरीक्षण के दौरान उप-समिति को दिए गए आश्वासनों में शामिल कर लेना चाहिए।

मंत्रालय/विभाग.....

संसदीय राजभाषा समिति की ..... उपसमिति द्वारा दिनांक ..... को .....

.....के निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई की अनुपालनात्मक रिपोर्ट।

क्र0 सं0	आश्वासन का संक्षिप्त सार	आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में की गई कार्रवाई	यदि आश्वासन को निर्धारित 3 माह की अवधि के दौरान पूरा न किया हो तो इसका कारण	यदि आश्वासन निर्धारित अवधि में पूरा न किया गया हो तो समिति सचिवालय की अनुमति से बढ़ाई गई समय-सीमा की तारीख और समिति सचिवालय के पत्र सं0 और तारीख का उल्लेख किए जाए जिसके अंतर्गत समय-सीमा बढ़ाई गई है।	बढ़ाई गई समय-सीमा के दौरान आश्वासन पूर्ति के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा	आश्वासन पूरा किए जाने की तारीख	अन्य विवरण यदि कोई हो तो
1	2	3	4	5	6	7	8

कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर

नाम:-

पदनाम:-

मोहर:-